बैठक दिनांक 11-4-2016 /फैक्स

संख्या-17/2016/1400/55-पर्या-16-56(रिट)/2016

प्रेषक,

आत्मा राम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
कृषि/परिवहन/ऊर्जा/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/औद्योगिक विकास/नगर विकास/
आवास/पंचायती राज/भूतत्व एवं खनिकर्म/सिंचाई एवं जल संसाधन/लोक निर्माण/
परती भूमि विकास/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास/
आबकारी/उद्यान एवं खादय प्रसंस्करण/गृह/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स/
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
उ0प्र0 शासन।

पर्यावरण अनुभाग लखनऊः दिनांकः 06 अप्रैल, 2016

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (एन0जी0टी0) में लम्बित वादों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण अनुभाग के पत्र संख्या-13/2016/1186/55-पर्या-16-56(रिट)/2016, दिनांक 16 मार्च, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (एन0जी0टी0) के समक्ष दायर विभिन्न वादों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने एवं मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में समस्त संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव तथा मा0 एन0जी0टी0 में उनके विभाग से सम्बद्व अधिवक्ताओं के साथ विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 11-04-2016 को अपरान्ह 5-30 से 6-00 बजे के मध्य लाल बहादुर शास्त्री भवन, एनेक्सी, लखनऊ स्थिति उनके सभाकक्ष में एक बैठक आहूत की गयी है।

अतः कृपया उपर्युक्त बैठक में विभाग से सम्बद्व मा0 अधिकरण के अधिवक्ताओं के साथ आवश्यक अभिलेखों/सूचनाओं सहित यथासमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-17/2016/1400(1)/55-पर्या-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे मा0 एन0जी0टी0 में विभाग से सम्बद्व अधिवक्ताओं के साथ बैठक में आवश्यक अभिलेखों/ सूचनाओं सहित ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

2- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे मा0 एन0जी0टी0 में विभाग से सम्बद्व अधिवक्ताओं के साथ बैठक में आवश्यक अभिलेखों/सूचनाओं सहित ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।